राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 6 अप्रैल, 1971

क्रमांक 7611-र-(III)-70/9385.—श्री मोहन लाल पुत्र अर्जुन सिंह, गांव पोता, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री मोहन लाल की मुबलिक 100 रुपए की जागीर जोकि उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना सं० 2907 जे. एन. III-65, दिनांक 25 मार्च, 1966 द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमति डोडी देवी, विधवा श्री मोहन लाल के नाम खरीफ-68 से रबी-70 तक 100 रु० तथा खरीफ-70 से आगे 150 रु० वार्षिक दर से मंजूर की जाती है। इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।

क्रमांक 976-र(III)-71/9393.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसाकि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उन के सामने दी गई फसल तथा राशि एवं बाद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

क्रमांक	जिला	जागीर पाने वाले का नाम	गांव व पता	तहसील	फसल/वर्ष जब से जागीर दी गई	राशि
						रुपए
1	अम्बाला	श्री शिव हरक, पुत्र सुरज बक्श	कुन्दीरा नगर, रामजी बिलडिंग, अम्बाला कैंट	अम्बाला	(1) खरीफ, 1965 से रबी, 1970 तक	100
					(2) खरीफ, 1970 से आगे	150
2	,,	श्री प्रेम कौर, विधवा खजान सिंह	नन्दारपुर	जगाधरी	(1) रबी, 1966 से रबी, 1970 तक	100
					(2) खरीफ, 1970 से आगे	150

क्रमांक 669-र(III)-71/9398.—पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उस में आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जुगलाल, पुत्र जयचन्द, गांव चरखी, तहसील चरखी दादरी (महेन्द्रगढ़) को 'रबी-69' से 'रबी 70' तक 100 रु० तथा 'खरीफ-70' से आगे 150 रु. वार्षिक दर वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 4505-र(III)-70/9403.—श्री बसाखा सिंह, पुत्र धनैया सिंह. 123, स्टाफ रोड़, अम्बाला छावनी की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब जंगी जागीर अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री बसाखा सिंह की मुबलिक 100 रुपये की जागीर, जो कि उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना संख्या 85-जे. सी. 53/1556, दिनांक 15 सितम्बर, 1953 द्वारा मंजूर की गई थी, अब श्रीमती माया वती विधवा श्री बसाखा के नाम खरीफ, 1959 से रबी, 1970 तक 100 रुपये तथा खरीफ, 1970 से आगे 150 रुपये वार्षिक दर से मंजूर की जाती है। इन अधिकारों का प्रयोग सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत किया जायेगा।